1145 1009

INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-JH07716342431396P
Certificate Issued Date	:	20-Nov-2017 11:08 AM
Account Reference	:	NONACC (FI)/ jhdopjc07/ DEOGHAR/ JH-DG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-JHJHDOPJC0711060071347575P
Purchased by	:	JAYANTI DEVI
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	MOUZA - SALONATANR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JAYANTI DEVI
Second Party	:	MIRA SINHA
Stamp Duty Paid By	:	JAYANTI DEVI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	8,21,600 (Eight Lakh Twenty One Thousand Six Hundred only)

.......................Please write or type below this line.......................

निबंधन अधिनियम.......21..........के अधीन और छोटानागपुर/संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट की धारा......................के अधीन भी ग्राह्य है और इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के खण्ड...23A(1)....के अधीन यथावत स्टाम्प सहित (या स्टाम्प शुल्क से विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

निबंधन पदाधिकारी

Gift 1,30,39,000/- P.S. Deoghar
Ruled Rs-2,60,780/- Stamp 821600/-
Area 9.07 Dec

न्यूनतम मूल्यांकन पंजी के आधार पर मूल्यांकन जाँच किया

जाँच कर्ता का हस्ताक्षर

ATTESTED

NOTARY REGD No-225/06 Govt of Jharkhand Distt Deoghar

0002384064

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

9·07×1437430·8
7,30,37,497 |=

दान पत्र

दानदाता :—श्रीमती जयन्ती देवी, पति श्री श्रीकान्त सिंह, जाति कोइरी, पेशा गृहस्वामीनी, कृषि आदि, साकिन चन्दनपुरा, पत्रालय जमालपुर, थाना नयारामनगर, सबडिविजन मुंगेर, सबरजिष्ट्री व जिला मुंगेर, राज्य बिहार, राष्ट्रीयता :—भारतीय।
आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

दानग्रहिता :—श्रीमती मीरा सिन्हा, पिता श्री श्रीकान्त सिंह, पति श्री राजेन्द्र कुमार, जाति कोइरी, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन चन्दनपुरा, पत्रालय जमालपुर, थाना नयारामनगर, सबडिविजन मुंगेर, सबरजिष्ट्री व जिला मुंगेर, राज्य–बिहार, वर्तमान साकिन ब्रहम समाज रोड, रेलवे स्टेशन के नजदीक देवघर, थाना, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य–झारखण्ड, राष्ट्रीयता–भारतीय।
आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

ATTESTED 8/5/18
NOTARY/Regd No.-225/04
Govt. of Jharkhand
Distt. Deoghar INDIA

मीरा सिन्हा

लेख्य प्रकार :—दान पत्र।

दानकृत सम्पत्ति की कीमत :—कुल 1,30,39,000/—एक करौड़ तीस लाख उनचालीस हजार रूपये मात्र।

दानकृत सम्पत्ति का विवरण :—निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि द्विजेन्द नाथ बोस साकिन 9 डी. रानी चक्वर्ती लेन, थाना कालीघाट, कोलकाता–700029 के निवासी, राज्य–बिहार वर्तमान राज्य–झारखण्ड के अर्न्तगत, जिला संथाल प्रगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, तालुक रोहिणी तरफ रूपसागर, सामिल मौजा सलौनाटॉड़ न0 253 के अन्दर महल्ला विलियम्स टाउन में बसौड़ी सत्व की जमीन टाउन प्लान प्लाट न0 309 रकवा स्थानीय रोहिणी ईस्टेट के माप से कम बेसी 1(एक) बीघा 1(एक) धुर यानि 1.17 एकड़(एक एकड़ सतरह डिसमिल), तदुपरिस्थित "सर्वमंगला आश्रम" नामक मकानादि, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, के मालिक व अधिकारी रहते हुए व उसके बावत वार्षिक मालगुजारी व नगरपालिका टैक्स आदि आदाय करते हुए बहैसियत पुर्ण मालिक ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोग दखल करते रहे।

उपर्युक्त द्विजेन्द्र नाथ बसु (द्विजेन्द्र नाथ बोस) ने मरने के पहले यानि अपनी जीवीतावस्था में ही दिनांक 22/12/1934 ईस्वी में उक्त सम्पत्ति मय "सर्वमंगला आश्रम" नामक मकानादि के बावत अपनी द्वितीय पत्नी श्रीमती शैलावाला दासी तथा अपने नाबालिग पुत्रगण व अविवाहिता पुत्रीगण कमशः सुनील कुमार बसु उर्फ कनाई लाल बसु, अनिल कुमार बसु उर्फ बलाय चन्द बसु, मानुलाल बसु, पावल बसु और पानुलाल बसु के हक में समान अंशों में एक कीता वसीयत लिखा तथा उक्त वसीयत में उपर्युक्त शैलावाला बसु को उत्तसाधिका (Executrix) नियुक्त किया।

उपर्युक्त द्विजेन्द्र नाथ बसु (द्विजेन्द नाथ बोस) के मरनोपरान्त, उपर्युक्त श्रीमती शैलावाला बसु ने उत्तरसाधिका (Executrix) के हैसियत से दिनांक 01/02/1938 ईस्वी में, उक्त स्वर्गीय द्विजेन्द्र नाथ बसु (द्विजेन्द नाथ बोस) के वसीयत के प्रोबेट के लिये माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन किया।

ATTESTED
8/5/18
NOTARY/Regd No.-225/04
Govt. of Jharkhand
Distt. Deoghar INDIA

दिनांक 22/02/1938 ईस्वी में माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा उक्त स्वर्गीय द्विजेन्द्र नाथ बसु (द्विजेन्द नाथ बोस) के वसीयत का प्रोबेट स्वीकृत होने पर उपर्युक्त श्रीमती शैलावाला बसु अपने नाबालिग पुत्रगण व पुत्रीगण के साथ उक्त सम्पत्ति पर निर्विवाद रूप से भोगवती व दखलकारीणी हुई।

उपर्युक्त शैलावाला बसु खुद व अपने नाबालिग पुत्रगण व पुत्रीगण के तरफ से दिनांक 19/05/1944 ईस्वी में रजिष्ट्रार ऑफ ऐसुरेन्सेस कलकत्ता से निबंधित एक कीता बिकय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 46, पृष्ठ संख्या 64 से 66 में निबंधित जिसकी संख्या 1577 वर्ष 1944 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति को श्री अरूण चन्द्र राय पिता स्वर्गीय अन्नदा चरण राय साकिन 4डी. मदन दत्ता लेन कोलकाता के निवासी के पास बिकी कर दिया।

उपर्युक्त अरूण चन्द्र राय उक्त खरीदगी सम्पत्ति "सर्वमंगला आश्रम" नामक मकान मय जमीन आदि पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर व नगरपालिका देवघर के कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाकर वार्षिक मालगुजारी व टैक्स आदि आदाय करते हुए बहैसियत पुर्ण मालिक निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए दिनांक 29/09/1988 ईस्वी में अपनी पत्नी श्रीमती बीणा राय व एकमात्र पुत्री श्रीमती चितरिता चन्दा को अपना कानूनी उत्तराधिकारी व वारिसान छोड़कर स्वर्गवास कर गये।

उपर्युक्त श्रीमती बीणा राय पति स्वर्गीय अरूण चन्द्र राय साकिन 298ए. बाघमारी रोड, थाना मानिकताला, कलकत्ता–700054 व श्रीमती चितरिता चन्दा पिता स्वगीय अरूण चन्द्र राय पति श्री धीरज मोहन चन्दा साकिन 26-H/22 R.M.D गार्डेन लेन थाना बेलियाघटा, कलकत्ता–700010 के निवासीगण वारिस सुत्र से उक्त सम्पत्ति मौजा सलौनाटॉड़ न0 253 के अन्दर महल्ला विलियम्स टाउन में बसौड़ी सत्व की जमीन, टाउन प्लान प्लाट न0 309 रकवा स्थानीय रोहिणी ईस्टेट के माप से कम बेसी 1 (एक) बीघा 1 (एक) धुर यानि 1.17 एकड़(एक एकड़ सतरह डिसमिल), तदुपरिस्थित "सर्वमंगला आश्रम" नामक मकानादि, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, होल्डिंग न0 708 के मालिक व अधिकारी होकर वार्षिक मालगुजारी व टैक्स आदि आदाय करते हुए व उसपर निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए उक्त सम्पति के अन्दर कुछ अंश को करीब सन् 1995 ईस्वी में श्रीमती टिंकु चटर्जी व ए. के. वर्मा वगैरह के पास बिकी भी कर दिया।

उपर्युक्त श्रीमती वीणा राय पति स्वर्गीय अरूण चन्द्र राय साकिन 298ए. बाघमारी रोड, थाना मानिकताला, कलकत्ता–700054 व श्रीमती चितरिता चन्दा पिता स्वगीय अरूण चन्द्र राय पति श्री धीरज मोहन चन्दा साकिन 26-H/22 R.M.D गार्डेन लेन थाना बेलियाघटा, कलकत्ता–700010 के निवासीगण अवशेश रकवा 34,309 वर्गफीट जमीन मय "सर्वमंगला आश्रम" नामक मकानादि पर निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए वजरिये मोख्तार श्री रमेश कुमार बरनवाल पिता कोदन लाल बरनवाल साकिन बेलाबागान देवघर, थाना व जिला देवघर (Vide Authenticated Power of Attorney No. 7 dated 08.03.2005 of registry office Alipur South 24 Parganas), दिनांक 07/03/2005 ईस्वी में निष्पादित तथा दिनांक 08/04/2005 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिकय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 31 वास्ते 2.005, पृष्ठ संख्या 22 से 33 में निंधित जिसकी संख्या 1133 वर्ष 2005 के द्वारा, रकवा 9,550 वर्गफीट मय एकताला पक्का मकानादि, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न0 309, अन्दर जमाबंदी न0 16/3418, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, होल्डिंग न0 708, बमोजीव उक्त दस्तावेज सेख्या 1133 वर्ष 2005 ईस्वी के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ सब प्लाट न0 "5", "7", "8" व "9" मय कुल हक हकुक श्रीमती बीणा बरनवाल के पास बिकी कर देने पर उपर्युक्त श्रीमती बीणा बरनवाल उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर बहैसियत पुर्ण मालिक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त श्रीमती वीणा राय पति स्वर्गीय अरूण चन्द्र राय साकिन 298ए. बाघमारी रोड, थाना मानिकताला, कलकत्ता–700054 व श्रीमती चितरिता चन्दा पिता स्वगीय अरूण चन्द्र राय पति श्री धीरज मोहन चन्दा साकिन 26-H/22 R.M.D गार्डेन लेन थाना बेलियाघटा, कलकत्ता–700010 के निवासीगण वजरिये मोख्तार उपर्युक्त श्री रमेश कुमार बरनवाल पिता कोदन लाल बरनवाल साकिन बेलाबागान देवघर, थाना व जिला देवघर (Vide Authenticated Power of Attorney No. 7 dated 08.03.2005 of registry office Alipur South 24 Parganas), दिनांक 07/03/2005 ईस्वी में निष्पादित तथा दिनांक 08/04/2005 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिकय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 30 वास्ते 2.005, पृष्ठ संख्या 72 से 80 में निंबंधित जिसकी संख्या 1130 वर्ष 2005 के द्वारा, रकवा 1536 वर्गफीट, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न0 309, अन्दर जमाबंदी न0 16/3418, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, होल्डिंग न0 708, बमोजीव उक्त दस्तावेज सेख्या 1130 वर्ष 2005 ईस्वी

ATTESTED
NOTARY/Regd No.-225/04
Govt. of Jharkhand
Distt. Deoghar INDIA

के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ सब प्लाट न0 "6" मय कुल हक हकुक श्री राजेन्द्र प्रसाद बरनवाल व श्री अशोक प्रसाद बरनवाल के पास बिक्री कर देने पर उपर्युक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद बरनवाल व श्री अशोक प्रसाद बरनवाल उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर बहैसियत पुर्ण मालिक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त श्रीमती बीणा बरनवाल अपनी खरीदगी सम्पत्ति के अन्दर सब प्लाट न0 "7" रकवा 2031 वर्गफीट व सब प्लाट न0 "5" का अंश रकवा 384 वर्गफीट मोट रकवा 2415 वर्गफीट तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद बरनवाल व श्री अशोक प्रसाद बरनवाल अपनी खरीदगी सम्पत्ति सब प्लाट न0 "6" रकवा 1536 वर्गफीट, कुल रकवा 3951 वर्गफीट, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न0 309 का अंश, अन्दर जमाबंदी न0 16/3418, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, होल्डिंग न0 708, को दिनांक 04/07/2005 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 48 वास्ते 2005, पृष्ठ संख्या 223 से 235 में निबंधित जिसकी संख्या 2146 वर्ष 2005 ईस्वी के द्वारा, बमोजीब उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मय कुल हक हकुक, उपर्युक्त मुझ दानदातृ श्रीमती जयन्ती देवी के पास बिक्री कर दिया, **बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न।**

मैं दानदातृ श्रीमती जयन्ती देवी उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या 385/2007–2008 के द्वारा दिनांक 29/08/2007 ईस्वी के आदेशानुसार अपना नाम दर्ज करवाकर उसके बावत सालाना खजाना आदाय करती हुई वहैसियत पुर्ण मालकिन आजतक निर्विवाद रूप से भोगवती व दखलकारीणी हूँ, **नामान्तरण आदेश व खजाना रसीद की छायाप्रति संलग्न।**

अंचल कार्यालय देवघर का ज्ञापांक 1552/रा0 दिनांक 13/10/2017 की प्रति संलग्न।

उपर्युक्त मुझ दानदातृ को तीन लड़की क्रमशः दानग्रहितृ श्रीमती मीरा सिन्हा, श्रीमती विनीता सिन्हा एवं श्रीमती रीना कुमारी है तथा एक लड़का है। उपर्युक्त दानग्रहितृ श्रीमती मीरा सिन्हा जो मुझ दानदातृ की बड़ी लड़की है जो स्नेह की पात्रा है जो मुझ दानदातृ की देखभाल, सेवा सुश्रुषा, बड़े ही तन, मन व श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया करती रही। उपर्युक्त दानग्रहितृ श्रीमती मीरा सिन्हा, चारों भाई–बहनों में से सबसे बड़ी है जो सयानी होने पर उपर्युक्त दोनों बहनों व छोटा भाई का देखभाल, लालन पालन व शिक्षा दिक्षा आदि सभी कार्य रूचि पुर्वक उपर्युक्त दानग्रहितृ ही किया करती थी। उपर्युक्त दानग्रहितृ की छोटी बहन विनीता सिन्हा व रीना कुमारी की शादी सुखी सम्पन्न घराने में हुई है जो सुख पूर्वक अपने अपने ससुराल में निवास करती हैं साथ ही साथ मुझ दानदातृ का एकमात्र लड़का भी दानग्रहितृ के सरंक्षण में रहकर तथा पढ़कर लिखकर व विवाहआदि कर अपना जीवन यापन आनन्द पूर्वक करते आ रहा है। उपर्युक्त दानग्रहितृ, मुझ दानदातृ की देखभाल, सेवा सुश्रुषा, बड़े ही तन, मन व श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया करती है साथ ही साथ अपने पिता की भी देखभाल, सेवा सुश्रुषा, बड़े ही तन, मन व श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया करती है। उपर्युक्त दानग्रहितृ द्वारा अपने परिवार के सभी सदस्यों की असीम देखभाल, सेवा सुश्रुषा, स्नेहपूर्ण आचरण, कुशल व्यवहार, मातृ प्रेम व पितृ भक्ति से मैं दानदातृ अत्यन्त खुश हूँ। इधर कुछ दिनों से मुझ दानदातृ के मन में आन्तरिक इच्छा रही है कि उपर्युक्त दानग्रहितृ के हक में कुछ अचल सम्पत्ति दान कर दूँ ताकि मन को शान्ति मिले।

इसलिये आज तारीख उपर्युक्त मैं दानदातृ स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के, या धमकावे के, या फुसलावे के शुद्ध अन्तःकरण व स्वस्थ चित्त में रहकर उक्त सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है तथा जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक दानग्रहितृ के हक में दान कर दिया और दानग्रहितृ के दखल कब्जे में दे दिया, जिसे दानग्रहितृ ने सहर्ष स्वीकार व अंगीकार किया।

अब दानग्रहितृ, मुझ दानदातृ के सत्व व दखल से सत्ववती व दखलकारीणी होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने की अधिकारीणी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करती रहें, इसमें मुझ दानदातृ मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र–आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

ATTESTED
NOTARY Regd No.-225/0a
Govt. of Jharkhand
Distt. Deoghar INDIA

निम्न दानकृत सम्पत्ति की मैं दानदातृ ही एकमात्र मालकिन हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नही है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय–संयूक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया हूँ। हर तरह से साफ व पाक है।

निम्न दानकृत सम्पत्ति के संबंध में अगर भविष्य में, मुझ दानदातृ मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में, अपने खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगी।

निम्न दानकृत सम्पत्ति के बावत, दानग्रहितृ मय वारिसान सरकारी सिरिस्ता में अपना नाम दर्ज कराकर वार्षिक मालगुजारी व टैक्स आदि आदाय किया करेंगी।

अतएव आज तारीख उपर्युक्त मैं दानदातृ स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के, या धमकावे के, या फुसलावे के, शुद्ध अन्तःकरण व स्वस्थ चित्त में रहकर यह दान पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे, दिनांक 12/12/17

अनुसूची सम्पत्ति

थाना नं0 253, जिला, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, सामिल मौजा सलौनाटॉड़ महल्ला विलियम्स टाउन के अन्दर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, टाउन प्लान प्लाट न0 309 का अंश सब प्लाट न0 "7" रकवा 2031 वर्गफीट, सब प्लाट न0 "5" का अंश रकवा 384 वर्गफीट व सब प्लाट न0 "6" रकवा 1536 वर्गफीट मोट रकवा 3,951 वर्गफीट (तीन हजार नौ सौ एकावन वर्गफीट) यानि 9.07 डिसमिल परती जमीन, अन्दर जमाबंदी न0 16/3418, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड नं0 10, होल्डिंग न0 708 का अंश, देवघर नगर निगम वार्ड न0 15, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है मय कुल हक हकुक दान दिया जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :–स्टेट बैंक ट्रेनिंग सेन्टर।

इधर की माप पुरवा–पश्चिमा 64'–06" फीट।

दक्षिण :–श्रीमती बीणा बरनवाल की जमीन सब प्लाट न0 "5" का अंश।

इधर की माप पुरवा–पश्चिमा 64'–00" फीट।

पुरब :–श्रीमती बीणा बरनवाल की जमीन व मकान सब प्लाट न0 "8" व "9"

इधर की माप उत्तरा–दखिना 57'–06" फीट।

पश्चिम :–सर्कुलर रोड।

इधर की माप उत्तरा–दखिना 65'–06" फीट ।

मीरा सिन्हा

ATTESTED
NOTARY/Regd No.-225/
Govt. of Jharkhand

घोषणा :—उक्त दानकृत सम्पत्ति पक्की सड़क से सटे है जो आवासीय है तथा लीज से मुक्त है, निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त दानकृत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अन्तर्गत नहीं है।उक्त दानकृत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अन्तर्गत भी नहीं है। उक्त दानकृत सम्पत्ति सी. बी. आई जाँच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो विधि संगत कानूनी कार्रवाही का भागी होउँगी।

जयन्ती देवी

दानदातृ का हस्ताक्षर

मैंने दान स्वीकार किया, दानग्रहितृ का हस्ताक्षर मीरा सिन्हा

गवाहान

1) Rajendra Kumar
S/o Lt. C. Janki Mahto
Add. — Vill. Darkha
P.O. Darkha
P.S. Chandradip.
Dist — Jamui.
M. — 9576633301.

सम्पादक द्वारा सहिचान
Rajendra Kumar

Rajendra Kumar

2. मनीष कुमार
श्री सीताराम पंडित
बम्पास टाउन
देवघर
मीरा सिन्हा

दानदाता का छायाचित्र, हस्ताक्षर एवं टीप निशान———

जयन्ती देवी
12.12.2017

9472089100

दानग्रहिता का छायाचित्र, हस्ताक्षर एवं टीप निशान———

मीरा मिश्रा
12.12.2017

9576633301

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, प्रारूप कर्ता
डीडरायटर, देवघर, दिनांक 12/12/17
प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, के बॉये हाथ के अंगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं
डीड रायटर देवघर, दिनांक 12/12/17

मीरा मिश्रा

ATTESTED
NOTARY/Regd No.-225/04
Govt of Jharkhand
Distt Deoghar

PLAN OF LAND UNDER MOUZA:- SALONATANR NO:- 253 WITHIN DEOGHAR NAGAR NIGAM WARD NO:- 15, PART OF TOWN PLAN PLOT NO:- 309, J.B. NO:- 16/3418, SUB PLOT NO:- 7, 6 AND PART OF SUB PLOT NO:- 5 TOTAL AREA:- 3951 SQft. SHOWN IN RED COLOUR, BELONG'S TO SMT JAYANTI DEVI W/O SRI SHRIKANT SINGH OF CHANDANPURA JAMALPUR, MUNGER NOW GIFT IN FAVOUR OF SMT MIRA SINHA D/O SRI SHRIKANT SINGH W/O RAJENDRA KUMAR OF CHANDANPURA JAMALPUR, MUNGER AT PRESENT R/O BRAHM SAMAJ ROAD DEOGHAR, P.S. AND DIST. DEOGHAR